न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

जन वितरण प्रणाली पुनर्जीवित वाद संख्या–61/2022

पौलिना मिंज

बनाम्

राज्य

–: आदेश :–

21/10/	वर्तमान वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी पौलिना मिंज अध्यक्ष, महिला विकास स्वयं सहायता समूह, ग्राम– कुरोकला पंचायत– परहाटोली, प्रखण्ड– महुआडांड़, जिला– लातेहार के द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति संख्या– 25/09 को जिला अपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार द्वारा रद्द कर दिए जाने के पश्चात् पुनः पुनर्जीवित करने हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं दायर अभिलेखों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अन्य जन प्रणाली विक्रेता जिन्हें अभी बिक्री का आदेश दिया गया है उनके द्वारा झूठे आरोप के कारण हम महिलाओं द्वारा चलाये जा रहे जन वितरण दूकान को बिना स्पष्टीकरण मांगे जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार द्वारा रद्द कर दिया गया। प्रोफेसर ज्यांद्रेज को भी गलत सूचना देकर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा आपूर्ति अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। तत्कालिन जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा भी बिना प्रथम पक्ष के पक्ष को सुने ही अनुज्ञप्ति रद्द का आदेश पारित कर दिया गया। मेरे पति की तबियत खराब हो गई थी जिनके इलाज के लिए मैं रांची गई हुई थी, मेरे पति की मृत्यु हो गई है। मेरे अनुपस्थिति का लाभ उठा कर अनुज्ञप्ति रद्द किया गया। अनुप्ति संख्या– 25/09 (जन प्रणाली विक्रेता) को पुनः राशन उठाने एवं वितरण का

आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

जिला अपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 1264/आ0 दिनांक 29.09.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी पुनर्जीवित वाद महिला विकास स्वयं सहायता समूह, ग्राम– कुरोखुर्द के संबंध में तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार के आदेश ज्ञापांक 1110/आ0 दिनांक 14.11.2017 के द्वारा ज0वि0प्र0 के दुकान को रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेश में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, महुआडांड़ के पत्रांक–95 दिनांक 03.11.2017 के द्वारा ग्राम– बेलटोली, पंचायत– परहाटोली के कार्डधारियों द्वारा महिला विकास स्वयं सहायता समूह के द्वारा कम चावल देने संबंधी तथा बिना कारण राशन कार्ड रद्द करने की शिकायत प्रो0– ज्यांद्रेज समक्ष की गई थी। जिसमें निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आया था :–

1. कार्डधारियों के द्वारा बतलाय गया कि महिला विकास स्वयं सहायता समूह, जनवितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति संख्या– 25/09 ग्राम+पंचायत– परहाटोली के द्वारा निर्धारित मात्रा से कम आनाज दिया जाता है। शिकायत सही पाया गया तथा कुछ लोगों का (योग्य) राशन कार्ड स्वतः रद्द हो गया है।
2. सूचिता एक्का पिता– कमलि एक्का PH कार्ड नं0– 202002825708 यूनिट 09, ग्राम– बेलटोली ने बतायी कि प्रतिमाह 35 किलोग्राम– चावल दिया जात है, जो कार्ड में भी 35 किलोग्राम दर्ज है। पूरा मांगने पर कहा जाता है कि इतना ही मिलेगा।
3. फुलकेरिया गिद्ध पिता– सोहन गिद्ध PH कार्ड नं0– 202002825705 यूनिट 15 ग्राम बेलटोली ने बतलाई कि उन्हें प्रतिमाह 35 किलोग्राम चावल दिया गया है।
4. इलियास कुजूर पिता– जतरू कुजूर PH कार्ड नं0– 202002825700 यूनिट 13 ग्राम– बेलटोली से सम्बद्ध तरसिला टोप्पो द्वारा बताया गया कि दुकानदार द्वारा युनिट के अनुसार चावल नहीं दिया जाता है। महा अक्टूबर 17 में 32 किलोग्राम चावल दिया गया है। यूनिट के अनुसार मांगने पर कहा जाता है कि इतना ही राशन आता है कार्ड में कुल– 35 किलोग्राम दर्ज किया गया है।

5. इलिसबा कुजूर पिता– सुखू कुजूर AAY कार्ड नं0– 202002825686, ग्राम– बेलटोली के माह अक्टूबर 2017 में 32 किलोग्राम चावल दिया गया है और कार्ड में 35 किलोग्राम दर्ज किया गया है।

महिला विकास स्वयं सहायता समूह, जनवितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत– परहाटोली के द्वारा बरती गयी अनियमितता एवं विभागीय आदेश के उल्लंघन तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन के आरोप में उनके अनुज्ञप्ति संख्या– 25/09 को रद्द किया गया। इससे स्पष्ट है कि विक्रेता पर कम राशन देने एवं अनियमितता बरतने की शिकायत सही पायी गयी थी, जिसके कारण इनका अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया।

विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सूनने के पश्चात् एवं अभिलेख में उपस्थित साक्ष्य के अवलोकनोपरान्त स्पष्ट होता है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता महिला विकास स्वयं सहायता समूह, ग्राम– कुरोकला पंचायत– परहाटोली, प्रखण्ड– महुआडांड़, जिला– लातेहार का अनुज्ञप्ति संख्या–25/09 को बगैर स्पष्टीकरण पूछे रद्द कर दिया गया है। साथ ही रद्द करने के पूर्व निलम्बन की कार्रवाई भी नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि रद्द करने के पूर्व प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार के ज्ञापांक– 1110/आ0, दिनांक– 14.11.2017 को निरस्त करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को यथानियम/यथाप्रक्रिया अनुज्ञप्ति बहाल करने की आवश्यक कार्रवाई की जाय।

अपीलार्थी भविष्य में खाद्यान उठाव एवं वितरण में समुचित संवेदनशीलता एवं नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध करायें। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.02.03 13:16:59 +05:30
Location: 192.168.196.97

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।